न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 360/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. शिवदान पुत्र करणीदान 2. भैरूदान पुत्र करणीदान 3. जेठूदान पुत्र करणीदान 4. धनुदान पुत्र सुमेरदान 5. समुद्र कंवर पुत्री करणीदान (जाति चारण, निवासीगण ग्राम बासनी लाछा, तह0 व जिला जोधपुर)		1. माधुदान पुत्र करणीदान चारण निवासी ग्राम बासनी लाछा, तह0 व जिला जोधपुर 2. इन्द्रदान पुत्र माधुदान चारण निवासी ग्राम बासनी लाछा, तह0 व जिला जोधपुर 3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर राजस्व विविध प्रकरण सं0 11/2017 दिनांक 10.07.2017

उपस्थित–
1. श्री अशोक चौधरी, वकील अपीलांट्स
2. श्री सुगनमल परिहार, वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 3

निर्णय

दिनांक 06.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण सं0 11/2017 अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट–प्रार्थी–शिवदानसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दुर्गादान पुत्र करणीदान चारण के नाम खातेदारी में दर्ज ग्राम बासनी लाछा के खसरा नं0 46/1, 47/2 व 72 कुल खसरा 3 कुल रकबा 63 बीघा भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने का आग्रह किया गया। तत्पश्चात रेस्पो0सं0 2–अप्रार्थी–इन्द्रदान दत्तक पुत्र स्व0 दुर्गादान ने भी रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 4.4.13 के आधार पर उक्त खसरान की भूमि अपने नाम दर्ज करने का आग्रह किया गया। प्रकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

में तहसीलदार जोधपुर द्वारा बाद जांच एवं कार्यवाही माफिक वसीयत उक्त खसरान की भूमि का नामान्तरकरण इन्द्रदान पुत्र स्व0 दुर्गादान जायन्दा पुत्र माधुदान के नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स स्व0 करणीदान के वारिसान है। अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 का एक भाई खातेदार दुर्गादान अविवाहित, लाऔलाद दिनांक 30.10.16 को फौत हो गया। खातेदार दुर्गादान के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अपीलांट–प्रार्थी–शिवदानसिंह ने तहसीलदार बाप के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्व0 दुर्गादान की खातेदारी में दर्ज वादग्रस्त खसरान की भूमि, उनके भाईयों व बहनों के संयुक्त कब्जा काश्त की होने से, इसका फौतेदगी ना0क0 उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने का आग्रह किया गया। तत्पश्चात रेस्पो0सं0 2–अप्रार्थी–इन्द्रदान द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरान की भूमि वसीयत के आधार पर अपने नाम दर्ज करने का आग्रह किया गया। प्रकरण में हल्का पटवारी की रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होना बताया गया, जिसके उपरांत भी वसीयतनामे के आधार पर ना0क0 दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया, जो विधिसम्मत नही है। रेस्पो0 सं0 2 द्वारा प्रस्तुत गोदनामा व वसीयतनामा संदिग्ध है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक) जोधपुर के न्यायालय में वाद विचाराधीन था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय भी पक्षकार है व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के पश्चात संबंधित पक्षों की सुनवाई के नोटिस जारी किए हुए थे, उक्त तथ्य रेकर्ड पर आने बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, वादग्रस्त खसरान की भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने के आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विधिसम्मत कार्यवाही के उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि के संबंध में विचाराधीन वाद में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही है। रेस्पो0सं0 2 द्वारा प्रस्तुत वसीयत उप पंजीयक तृतीय जोधपुर के कार्यालय में पंजीबद्ध है, उक्त वसीयत खातेदार दुर्गादान द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित की गई थी, जो दुर्गादान के फौत होने पर प्रभावशील हो गई। पंजीबद्ध वसीयत अनुसार स्व0 दुर्गादान के विधिक वारिसान भी उनके दत्तक पुत्र इन्द्रदान ही है, जिसे उन्होनें अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1999 पेज नं0 25 से 30 की प्रतियां पेश की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार जोधपुर द्वारा अंतर्गत धारा 135 (2) के तहत वादग्रस्त खसरान की भूमि पंजीबद्ध गोदनामा (दत्तक विलेख) दिनांक 22.06.2012 एवं पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 04.04.2013 के अनुसार रेस्पो0सं0 2–इन्द्रदान दत्तक पुत्र दुर्गादान के नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स सारहीन पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण सं0 11/2017 अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 10.07.2017 विधिसम्मतः होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06 नवम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

06.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर